सार्वजनिक सूचना

(ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

श्री उपेंद्र सेहरा (क्वेस्ट मर्चेन्डाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्ति गारंटर) के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री उपेंद्र सेहरा
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	(i). ए 48, दूसरी मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025; (ii). बेसमेंट डी 71/1 ओखला फेज 2, नई दिल्ली–110020; (iii). के–59 एबी बेसमेंट कालका. जी; एक्स–3 भूतल ओखला फेज–2, नई दिल्ली–110020; (iv). 198/22 रमेश मार्केट ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली–110005; (v). फ्लैट 4031 टावर 4 एटीएस वन हेमलेट सेक्टर 104 नोएडा–201301; (vi) फ्लैट 1504 टावर 35 लोटस बुलेवार्ड एस्पेशिया सेक्टर 100 नोएडा–201301; (vii). ए–204 तीसरी मंजिल डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली–110024; (viii). एक्स–3; ग्राउंड फ्लोर ओखला फेज–2 नई दिल्ली–110020
3.	व्यक्तिगत गारंटर के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ होने की तिथि	07.09.2026 (आदेश की प्रति 09.09.2026 को प्राप्त हुई)
4.	आवेदन प्रस्तुति के आदेश के विवरण	ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 95(1) और एनसीएलटी बेंच–V द्वारा सी.पी. (आईबी) 325/एनडी/2024 के अंतर्गत अपने आदेश दिनांक 07.09.2026 द्वारा स्वीकार किया गया है
5.	समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री देबाशीष नंदा आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार समाधान व्यवसायी का पता और ई–मेल	फ्लैट नं. सीएस–14, सी–फ्लोर, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल :– dnanda.cma@gmail.com
7.	समाधान व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	सी–14, तृतीय तल, एसएम प्लाजा, सेक्टर–15, वसुंधरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल :– pirp.upendra@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04–10–2026
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहाँ उपलब्ध हैं :	**वेबलिंक :** https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ – V ने 07.09.2026 को क्वेस्ट मर्चेन्डाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री उपेंद्र सेहरा के विरुद्ध ऋणशोधनाक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 09.09.2026 को प्राप्त हुई थी)।

श्री उपेंद्र सेहरा के ऋणदाताओं को एतद्द्वारा प्रविष्टि संख्या 5 एवं 6 के सामने उल्लिखित पते पर समाधान व्यवसायी के पास 04.10.2026 को या उससे पहले साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। ऋणदातागण, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप में प्रमाण सहित, पोस्ट के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य सहित दावे प्रस्तुत करेंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

देबाशीष नंदा
समाधान व्यवसायी
श्री उपेंद्र सेहरा के प्रकरण में
आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316

दिनांक : 13–09–2026
स्थान : दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

(ऋणशोधनाक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 102 के अंतर्गत)

सुश्री स्नेह लता सेहरा (क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर) के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	सुश्री स्नेह लता सेहरा
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	(i). ए48, दूसरी मंज़िल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110025; (ii). बेसमेंट डी 71/ 1 ओखला फेज़ 2, नई दिल्ली–110020; (iii). के–59 एबी बेसमेंट कालकाजी; X–3 ग्राउंड फ्लोर ओखला फेज़–2, एनडी –110020;(iv).198/22 रमेश मार्केट ईस्ट ऑफ़ कैलाश, दिल्ली–110005; (v).फ्लैट 4031 टॉवर 4 एटीएस वन हैमलेट सेक्टर 104 नोएडा–201301; (vi)फ्लैट 1504 टॉवर 35 लोटस बुलेवार्ड एस्पेशिया सेक्टर 100 नोएडा–201301; (vii). ए–204 तीसरी मंज़िल डिफ़ेंस कॉलोनी, दिल्ली–110024; (viii).एक्स–3; ग्राउंड फ्लोर ओखला फेज़–2 नई दिल्ली–110020
3.	व्यक्तिगत गारंटर के संदर्भ में ऋणशोधनाक्षमता आरंभ होने की तिथि	07.09.2026 (आदेश की कॉपी 09.09.2026 को मिली)
4.	आवेदन प्रस्तुति के आदेश के विवरण	दिवाला और दिवालियापन संहिता,2016 की धारा 95(1) और इसे एनसीएलटी बेंच–V द्वारा सी.पी.(आईबी) 322/एनडी /2024 में 07.09.2026 के आदेश के ज़रिए स्वीकार किया गया है
5.	समाधान व्यवसायी के रूप में कार्यरत् ऋणशोधनाक्षमता व्यवसायी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	श्री देबाशीष नंदा आईपी पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316
6.	बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार समाधान व्यवसायी का पता और ई–मेल	फ़्लैट नंबर सीएस–14, सी –फ़्लोर, अंसल प्लाज़ा, वैशाली गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल: dnanda.cma@gmail.com
7.	समाधान व्यवसायी के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	कार्यालय संख्या : सीएस–14,सी–फ़्लोर, अंसल प्लाज़ा, वैशाली गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010 ईमेल: – pirp.snehlata@gmail.com
8.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04–10–2026
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहाँ उपलब्ध हैं :	**वेबलिंक:** https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच–V नई दिल्ली ने 07.09.2026 (आदेश की कॉपी 09.09.2026 को मिली) को सुश्री स्नेह लता सेहरा ,क्वेस्ट मर्चेंडाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर, की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

सुश्री स्नेह लता सेहरा, व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों को 04.10.2026 को या उससे पहले सबूत के साथ अपना दावा प्रविष्टि संख्या 5 व 6 के सामने उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। लेनदारों को अपने दावे सबूत के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सबूत के साथ जमा करने होंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

श्री देबाशीष नंदा
समाधान पेशेवर
सुश्री स्नेह लता सेहरा के मामलें में
आईपी पंजीकरण संख्या:IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316

दिनांक: 13.09.2026
स्थान: दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी– 25 ए

पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित करने हेतु समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय। नई दिल्ली के समक्ष

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में।

और

मेसर्स फोटेक पॉलिमर्स लिमिटेड

जिसका पंजीकृत कार्यालय **प्लॉट नंबर 9वी, खसरा नंबर 151/13 में से, दीपक विहार, नजागढ़, दिल्ली-110043,** में है। ..... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत उपरोक्त नियमों के अनुसार केंद्र सरकार को आवेदन करने का इरादा रखती है और **बुधवार, 12 अगस्त, 2026** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार एक **प्राइवेट लिमिटेड** कंपनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है, ताकि कंपनी ऐसे परिवर्तन को प्रभावी कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक शपथपत्र (हलफनामे) सहित समर्थित अपनी आपत्तियाँ स्वयं प्रस्तुत कर सकता है, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-।** को **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003** पर इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **चौदह दिनों** के भीतर भेज सकता है। साथ ही, इसकी एक प्रति नीचे दिए गए आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजी जानी चाहिए: **पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 9वी, खसरा नंबर 151/13 में से, दीपक विहार, नजागढ़, दिल्ली-110043, ईमेल: dhillont42@gmail.com**

आवेदक की ओर से
मेसर्स फोटेक पॉलिमर्स लिमिटेड
–हस्ताक्षर–
आशीष (निदेशक)
डीआईएन: 09267108

दिनांक : 13.09.2026
स्थान : दिल्ली

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वि का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600032 त.ल.

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी चोलामंडलम निवेश एवं वित्त कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित विश्वास है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार चिपकाए जाने तथा प्रकाशित किए जाने से नोटिस की तामील प्रभावित हो रही है। मांग नोटिस(ओं) की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:–

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम एवं पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1	ऋण खाता सं. LAP1ANH000092790 1. श्री/श्रीमती रिंकू ओ 2. श्री/श्रीमती ममतेश आर क्रम सं. 1 और 2 हेतु पता: फरल, फरल, निकट सरकारी स्कूल, कैथल, हरियाणा – 136021 क्रम सं. 1 और 2 हेतु पता: खेवत सं. 120, खतौनी सं. 140, संपत्ति ग्राम फरल, उप तहसील ढांड, जिला कैथल, हरियाणा फरल ढांड कैथल हरियाणा–136021	रु. 20,00,000/-	09.09.2026 रु. **20,28,352/-** (रु. बीस लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ बावन मात्र) दिनांक 09.09.2026 तक	संपत्ति माप 1के–0एम जो 30के–04एम में 5/151 हिस्सा खेवट नं. 120, खाता नं. 140 में सम्मिलित ग्राम फराल, उप तहसील ढांड, जिला कैथल, वर्ष 2019–2020 की जमाबंदी, हस्तांतरण विलेख नं. 1079/1 दिनांक 10.08.2023 के द्वारा उप–पंजीयक कार्यालय ढांड, जिला कैथल में पंजीकृत है। जिसकी सीमाएं: पूर्व: किरणपालय पश्चिम: बोहती देवी का मकान और सरकारी स्कूल, उत्तर: अन्य का मालिक, दक्षिण: गली

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें तथा इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित ऋणदाता अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में तथा अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान करने या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (कारोबार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है तथा उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी,
कृते चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

स्थान: कैथल हरियाणा
दिनांक: 09.09.2026

ई–नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : 5वीं मंजिल, एल्डेको कॉर्पोरेट चैंबर्स–1, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 के पास बंधक अचल संपत्ति की बिक्री, जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत होगी। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसरण में निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट नं. के अंतर्गत आईआईएफएल–एचएफएल के बकाए की वसूली हेतु "जैसी है जहां है, जैसी है जो कुछ है तथा बिना किसी अधिकार के आधार पर" बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया था। बिक्री, अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी।

ऋणधारक(कों)/सह–ऋणधारक(कों)/गारंटीकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना तिथि तथा राशि	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	सांकेतिक कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
श्रीमती अर्चना गुप्ता मैसर्स अनन्या एंटरप्राइजेज श्री नितिन सिंह **(प्रॉस्पेक्ट नं. 846440)**	**16/12/2022** रु. **40,20,568.00** (रुपये चालीस लाख बीस हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) **बोली वृद्धि राशि** रु. 50,000.00/– (रुपये पचास हजार मात्र)	निम्न पता धारक संपत्ति का संपूर्ण भाग तथा भूखंड : दुकान संख्या 6, एलजीएफ पर, उस भवन में जिसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, निर्मित क्षेत्रफल 410 वर्ग फुट, कुबेर क्रेस्ट लैंड के रूप में, जो भवन संख्या 118/93, प्लॉट नं. 32 32ए पर निर्मित है, जो नजरबाग कैंट रोड, वार्ड नजरबाग, लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है।	**02/02/2026** **आज की तिथि (11/09/2026) तक कुल बकाया** रु. **71,54,037.77/–** (रुपये इकहत्तर लाख चौवन हजार सैंतीस और सतहत्तर पैसे मात्र)	रु. **60,52,000.0/–** (रुपये साठ लाख बावन हजार मात्र) **बयाना राशि जमा (ईएमडी)** रु. **6,05,200.00/–** (रुपये छह लाख पांच हजार दो सौ मात्र)	25/09/2026 (समय : 11:00 से 14:00 बजे) **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि** 28/09/2026 को सायं 5 बजे तक ई–नीलामी की तिथि/समय 29/09/2026 (समय : 11:00 से 13:00 बजे)

भुगतान की विधि– ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा तथा केवल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। **ध्यान दें :** प्रत्येक संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। **शेष भुगतान के लिए –** लॉगिन करें https://www.iiflonehome.com > "माई बिड" चुनें > "पे बैलेंस अमाउंट" पर क्लिक करें।

नियम एवं शर्तें :–

1. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com के पास काफी समय पूर्व अपना विवरण पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी से पूर्व ईएमडी का भुगतान जमा करना होगा। भुगतान के बाद, बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई–निविदा फॉर्म/बोली फॉर्म (ई–साइन) जमा करना आवश्यक है।
2. बोलीदाता "बोली वृद्धि राशि" स्तंभ के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करेंगे। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25: (ईएमडी को समायोजित करने के बाद) तथा प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा तथा भुगतान निर्धारित भुगतान तरीके से किए जाएंगे।
4. खरीदार को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, शुल्क तथा अन्य कोई वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगर निगम कर, भूमि के हस्तांतरण से जुड़े खर्च तथा संपत्ति से संबंधित सभी करों तथा दरों सहित अन्य सभी प्रासंगिक खर्चों एवं शुल्कों को वहन करना होगा।
5. खरीदार को बिक्री राशि के लेन–देन/भुगतान पर लागू टीडीएस का भुगतान करना होगा तथा आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों तथा शर्तों एवं नीलामी आवेदन फॉर्म के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें।
7. विस्तृत विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता के ईमेल आईडी : auction.hl@iifl.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 09:30 बजे से सायं 18:00 बजे तक आईआईएफएल एचएफएल के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या care@iiflonehome.com पर ईमेल करें।
9. उपरोक्त ऋणधारकों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वे भौतिक कब्जा लेने के समय प्रतिभूत परिसंपत्ति में रखे घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा इन परिस्थितियों में आईआईएफएल–एचएफएल संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
10. इसके अलावा ऋणधारक/ऋणधारकों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यदि वे उक्त सामान को एकत्र करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा।
11. उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर सफल बोलीदाता / नीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी एवं संपत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. प्राधिकृत अधिकारी के पास इसका कोई कारण बताए बिना निविदा/नीलामी के नियमों तथा शर्तों को स्थगित/रद्द करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद के मामले में, आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 उप–नियम (1) के अंतर्गत 15 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणधारक को एतद्वारा निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा आनुषंगिक व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा यदि कोई शेष बकाया है तो उसे ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

स्थान : लखनऊ
तिथि : 13–09–2026
हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

SBI

स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रान्च (एसएआरबी–II) करोल बाग, नई दिल्ली (ब्रान्च कोड 51521)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, स्टेट बैंक हाउस, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005 फोन : 011–28752163, फैक्स : 28755674, ब्रान्च ई–मेल : sbi.51521@sbi.co.in

"परिशिष्ट – IV-A" [नियम 9(1) का परंतुक देखें] **अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के अधीन ले लिया है। सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों, बंधकदाताओं तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि कर्जदारों, गारंटरों तथा बंधकदाताओं से बैंक की निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित मामलों में बैंक को प्रभारित सम्पत्ति/यों की ई–नीलामी (सरफासी ऐक्ट 2002 के अधीन) **"जैसी है जहां है आधार तथा जैसी है जोभी है आधार"** पर दिनांक 29–09–2026 को आयोजित की जाएगी। सुरक्षित मूल्य और जमा की जाने हेतु धरोहर राशि का वर्णन नीचे किया गया है।

सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु दौरे की तिथि/समय : 24-09-2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक

सुरक्षित मूल्य की ईएमडी, बिडर्स को पीएसबी अलायंस की ई–ऑक्शन साइट https://baanknet.com पर उनके बिडर खाते में बने चालान के माध्यम से बिडर के बैंक से एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर करनी होगी।

ई–नीलामी की तिथि/समय : 29-09-2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक 5 घंटे की अवधि हेतु, 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटरों का नाम	बकाया राशि, जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति/यां बेची जा रही है/हैं	सम्पत्ति/यों का विवरण एवं स्वामित्व विलेख धारकों के नाम	सुरक्षित मूल्य ईएमडी (सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत) बोली वृद्धि राशि
1.	1. संजीव कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, एच. नंबर 1418/21 द्वितीय तल फेज–11 एस.ए.एस नगर मोहाली रूपा नगर पंजाब–160062, अन्य स्थानः एमपी बिड़ला ग्रुप विंध्य टेली लिंक्स लिमिटेड, ई–237 फेज–8बी औद्योगिक क्षेत्र एसएएस नगर मोहाली पंजाब पिन–166062 अन्य स्थानः एफएएलटी नंबर 231 द्वितीय तल, 'द मार्लिन' सेक्टर–13, वसुंधरा गाजियाबाद।	30.03.2026 तक 42,83,123.00 रुपये (केवल बयालीस लाख तिरासी हजार एक सौ तेईस रुपये), साथ ही भविष्य का ब्याज, शुल्क और खर्च	फ्लैट नंबर–231, दूसरी मंज़िल (बिना छत के) "द मर्लिन" में, जो रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नंबर–13/जीएच–1, सेक्टर–13, वसुंधरा गाजियाबाद, तहसील सदर, जिला गाजियाबाद में है। इसका सुपर एरिया 575 वर्ग फीट (53.438 वर्ग मीटर), कारपेट एरिया 385.14 वर्ग फीट (35.793 वर्ग मीटर) है। यह संजीव कुमार गुप्ता के बेटे श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के नाम पर है और रजिस्ट्रेशन नंबर 8116 दिनांकित 01.07.2024 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 43398 पेज नंबर 95 से 126 के साथ सब रजिस्ट्रार–IV गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के ऑफिस में रजिस्टर्ड है। **(बैंक के पास भौतिक कब्जा है)। ऋण भार (अगर कोई हो): पता नहीं।**	रू. 37.63 लाख रू. 376300.00 रू. 0.50 लाख
2.	मेसर्स आकाश इंटरनेशनल, दुकान संख्या 615– छठा तल, पीपी ट्रेड टॉवर प्लॉट संख्या–पी1 एनएसपी नई दिल्ली–110034 यहां भीः दुकान संख्या 23/8/2, बादली रेलवे स्टेशन रोड, समयपुर दिल्ली–110042 श्री अशोक वर्धन गोलिया (मालिक) बी–125 भू तल, पुष्पांजलि एन्क्लेव, पीतमपुरा दिल्ली–110034 यहां भीः एम–174 प्रथम तल, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम –122001 श्रीमती रेणु गोलिया, पत्नी श्री अशोक वर्धन गोलिया (व्यक्तिगत गारंटर) एम–174 प्रथम तल, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम–122001 श्री आकाश गोलिया, पुत्र श्री अशोक वर्धन गोलिया (व्यक्तिगत गारंटर) एम–174 प्रथम तल, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम–122001	06.11.2025 तक रू. 1,42,11,565.00 (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख ग्यारह हजार पाँच सौ पैंसठ मात्र) 07.11.2025 से भविष्य के ब्याज के साथ–साथ आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि	छठे तल पर नंबर 615 वाली फ्री होल्ड यूनिट/ऑफिस, जिसका सुपर एरिया 504.70 वर्ग फीट (46.89 वर्ग मीटर) और कवर्ड एरिया 328.06 वर्ग फीट (30.48 वर्ग मीटर) है, पीपी ट्रेड सेंटर प्लॉट नंबर पी–1, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर नेता. जी सुभाष प्लेस पीतमपुरा दिल्ली–110034 में स्थित है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9146 है, बही नंबर 1 जिल्द नंबर 5820 के पेज 53 से 62 पर दिनांक 06.08.2015 को सब रजिस्ट्रार–VIA नई दिल्ली में श्री अशोक वर्धन गोलिया और श्रीमती रेणु गोलिया के नाम पर है। **(बैंक के पास भौतिक कब्जा है)। ऋण भार (अगर कोई हो): पता नहीं।**	रू. 1.20 करोड़ रू. 12,00,000.00 रू. 1.00 लाख

प्राधिकृत अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबरः श्री कृष्ण कुमार गौतम – 9868932666. श्री सुनील कुमार गिरी – 9650029288

वालेट जिसमें ईएमडी भेजी जानी है : पीएसबी अलायंस के साथ इसकी ई–नीलामी साइट https://baanknet.com/eauction-psb/x-login पर पंजीक